न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 44/2019

1–ओमप्रकाश पुत्र हीराराम
2–सुरेश कुमार पुत्र हीराराम
समस्त जाति जाट निवासीगण जाबदीनगर तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला नागौर

2.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी व श्री गोविन्द कड़वा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3)

बअनुवान सरकार बनाम ओमप्रकाश प्रकरण संख्या 44/2019

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक:18.01.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नावां ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध तहसीलदार नावां को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम सांभर झील नावां खसरा नम्बर 01 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जो कि सरकार (गै0मु0 झील) की भूमि है। जिसकी जांच भू0अ0 निरीक्षक नावां ,द्वारा की गई जिसके अनुसार अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर अतिक्रमण पाया। इस पर तहसीलदार नावां द्वारा पटवारी हल्का नावां की जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक नावां खसरा परिवर्तनशील अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन अन्तर्गत 91 एल0आर.एक्ट1956 के तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस अप्रार्थीण के आबाद मकान पर चस्पा से तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण की आरे से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रस्तुत जवाब की जांच हल्का पटवारी से करवायी गयी। पटवारी ने अतिक्रमण होना बताया । भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण का अतिक्रमण होना बताया है तथा अप्रार्थीगण ने सांवत 2074 में भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिक्रमण कर रखा था। जिसको पटवारी हल्का द्वारा बेदखली आदेश की पालना में पूर्व में दिनांक 27.02.2019 को बेदखल किया जा चुका है, बार–बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर लिया है जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण की परिभाषा में आता है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जाना व कानूनी कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का नावां के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण बार बार अतिक्रमण करने का आदि है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार बना कर व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण कर रखा था अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली के आदेश किये जाते है लगान कर से 24 रूपये अक्षरे चोबिस रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है तथा मुताबिक बयान पटवारी हल्का नावां के अप्रार्थीगण अतिक्रमण करने का दोषी पाया गया है। पश्चातवर्ती सिद्ध होने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत अप्रार्थीगण ओमप्रकाश, सुरेश कुमार पुत्रगण हिराराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। मांग कायमी व बेदखली हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का नावां को आदेश जारी किया । अप्रार्थीगण ओमप्रकाश,सुरेशकुमार पुत्रगण हिराराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर का एस0एच0ओ0 नावां को फर्द गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गयां। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 10.7.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नावां के प्रकरण संख्या 44/19 सरकार बनाम ओमप्रकाश वगै जाति जाट के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निर्णय दिनांक 05.07.2019 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति व भौतिक बेदखली एवं मांग कायमी आदेश की फोटोप्रतियॉ पेश कीं ।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील पारीत करने में विधिक एव तथ्यात्मक त्रुटि की है, निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(3) – यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अधिन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा प्रूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर तहसीलदार नावा द्वारा जुर्माना व बेदखल करने वं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है। जबकी उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नही है।

{2}(5) –यह है कि राजस्व ग्राम नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 01 भूमि में से 0.12 हैक्टर भूमि का आपके द्वारा जारी नोटिस में हम उतरदातागण ने ग्राम नावां के खसरा नम्बर 01 की भूमि में से 0.12 हैक्टर है भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। हम उतरदातागण की नमक उत्पादन ईकाई ग्राम जाबदीनगर में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 118/2 रकबा 4.04 हैक्टर है हमारी उक्त लीज सुदा नमक ईकाई के पास में कुछ अन्य लोगो द्वारा कचरे के ढेर डाले हुए है। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा उक्त कचरे के ढेर को भी उठा दिया गया है हम हमारी लीज सुदा भूमि में नमक उत्पादन का कार्य करते चल आ रहे है।

{2}(6) –यह है कि प्रार्थीया का झील भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है, पूर्व प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का नाप चौंक करवाया जाना आवश्यक है।

{2}(7) – यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयानो के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट को किसी प्रकार का जिरह का मौका नही दिया गया है,ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है एवं पटवारी द्वारा बिना नाप के गलत रिपार्ट के आधार पर प्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया है,उक्त भूमि अपीलान्टगण की स्वामित्व सुदा भूमि है।

{2}(8) यह कि पूर्व में जो निर्णय पारित होने का हवाला दिया है उसकी किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी गई एवं न ही जो फर्द बेदखली बताई है उसमें अपीलान्ट के हस्ताक्षर नही है।अतः अपील निरस्त की जावें।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा की रिपोर्ट व जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक नावां द्वारा कि गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ग्राम साभर झील नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार बना कर व पूर्व में भी सवंत 2074 में अतिक्रमण करने से अप्रार्थीगण के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली के आदेश किये गये तथा लगान दर से 24 रूपये अक्षरे चोबीस रूपये की शास्ति आरोपित करने तथा मुताबिक बयान पटवारी हल्का नावां के अप्रार्थीगण पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत अप्रार्थीगण ओमप्रकाश, सुरेशकुमार पुत्रगण हीराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। इस पर तहसीलदार नावां द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अप्रार्थीगण ओमप्रकाश, सुरेशकुमार पुत्रगण हीराराम जाति जाट निवासी जाबदीनगर के विरूद्ध धारा 91(3) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये जो विधिवतरूप से नाटिस आबाद मकान पर चस्पादंगी कर मौतबराने हस्ताक्षर कराये हुवे है। तथा अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि सुनवाई का अवसर नही दिया, जो अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.07.2019 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थिति होकर जवाब पेश किया जिसकी जॉच पटवारी हल्का द्वारा करायी गयी व बयान लिये गये जिसमें अतिक्रमण यथावत पाया गया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह सपष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांकः 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)